डॉ० भीमराव आंबेडकर विश्वविद्यालय, आगरा

(पूर्ववर्तीः आगरा विश्वविद्यालय, आगरा)

पत्रांक : सम्ब0/395/2025 दिनांक : 25/09/2025

कार्यालय–आदेश

शासनोदश संख्या 392/सत्तर–2–2018–18(31)/2018 दिनांक 10 सितम्बर, 2018 में दी गयी व्यवस्था के अनुसार सम्बद्ध महाविद्यालयों में संचालित स्नातक/स्नातकोत्तर **(नवीन एवं पूर्व से संचालित स्थायी/अस्थायी मान्यता प्राप्त)** स्ववित्तपोषित पाठ्यक्रमों हेतु शिक्षकों का अनुमोदन विश्वविद्यालय से प्राप्त करना अनिवार्य है। यह गंभीर अनियमितता संज्ञान में आई है कि अनेक महाविद्यालयों ने विश्वविद्यालय से विषय–विशेषज्ञ प्राप्त करने के बावजूद अनुमोदन हेतु साक्षात्कार प्रक्रिया पूर्ण नहीं कराई है। पूर्व में कई बार निर्देश जारी किये जाने के बावजूद अपेक्षित कार्यवाही न किया जाना अत्यन्त गंभीर लापरवाही है।

अतः यह आदेशित किया जाता है किः–

1. जिन महाविद्यालयों को विषय–विशेषज्ञ प्राप्त हो चुके हैं, वे तत्काल साक्षात्कार सम्पन्न कर अनुमोदन पत्रावली नियमानुसार विश्वविद्यालय में प्रस्तुत करें, अन्यथा कठोर कार्यवाही सुनिश्चित की जाएगी।
2. जिन महाविद्यालयों ने अभी तक विषय–विशेषज्ञ प्राप्त नहीं किये हैं, वे निर्धारित शुल्क, आवश्यक अभिलेख एवं दो राष्ट्रीय समाचार पत्रों में लगातार तीन दिन प्रकाशित विज्ञापन (प्रत्येक की तीन–तीन मूल प्रति) संलग्न कर विषय–विशेषज्ञ हेतु आवेदन तत्काल प्रस्तुत करें।
3. यह स्पष्ट कर दिया जाता है कि भविष्य में पुनः विषय–विशेषज्ञ उपलब्ध कराना संभव नहीं होगा।
4. शिक्षक अनुमोदन/नवीनीकरण कार्यवाही पूर्ण न करने की स्थिति में विश्वविद्यालय द्वारा अर्थदण्ड अध्यारोपित कर कठोर प्रशासनिक कार्यवाही की जायेगी, जिसकी सम्पूर्ण जिम्मेदारी सम्बन्धित महाविद्यालय प्रबन्धन की होगी।
5. यदि प्रबन्ध समिति कालातीत हो चुकी है तो नियमानुसार नवीन गठन करते हुये पत्रावली अनुमोदनार्थ तत्काल प्रस्तुत करना सुनिश्चित करें।

भवदीय

अजय मिश्रा
पी.सी.एस.
कुलसचिव

प्रतिलिपिः–निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1. प्रभारी–कुलपति सचिवालय, मा0 कुलपति जी के सूचनार्थ।
2. प्रभारी बेव–साइट– इस आशय से प्रेषित कि उक्त सूचना का विश्वविद्यालय की बेव–साइट पर प्रदर्शित करने का कष्ट करें।
3. अधिकृत ऐजेन्सी – इस आशय से प्रेषित कि उक्त सूचना को समस्त महाविद्यालयों की लोगिन में अपलोड कराना सुनिश्चित करें।
4. गार्ड फाइल।

अजय मिश्रा
पी.सी.एस.
कुलसचिव

Affisviett